न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 887–दो/08 विरूद्ध आदेश दिनांक 2–6–2008 पारित द्वारा आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन प्रकरण कमांक 148/अपील/2006–07.

सत्यनारायण पिता नाथूलालजी गौड़ (मृतक) द्वारा वारिसान
1– श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी स्व. सत्यनारायण
2– विनोद गौड़ पुत्र स्व. सत्यनारायण
3– मनोज गौड़ पुत्र स्व. सत्यनारायण
निवासीगण 52 टी.आई.टी. रोड, रतलाम .....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1– मध्य प्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प्स
जिला पंजीयक, रतलाम
2– महावीरसिंह पिता पृथ्वीसिंह
3– दारासिंह पिता पृथ्वीसिंह
4– सावनसिंह पिता पृथ्वीसिंह
5– प्रेमकुवर विधवा पृथ्वीसिंह
6– सुखकुंवर पिता पृथ्वीसिंह
7– शांताकुंवर पिता पृथ्वीसिंह
क. 6 व 7 अव्यस्क द्वारा संरक्षक माता प्रेमकुंवर
8– प्रेमसिंह पिता रामसिंह
9– हुकुमसिंह पिता रामसिंह
10– चंद्रसिंह पिता रामसिंह
11– पारसिंह पिता रामसिंह
निवासीगण ग्राम सालाखेड़ी
तहसील व जिला रतलाम
12– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर रतलाम
13– गंगाबाई पिता नाथूलालजी
निवासी ग्राम सालाखेड़ी
हाल मुकाम मेमून कॉम्पलेक्स
महू रोड, रतलाम .....प्रत्यर्थीगण

श्री पृथ्वीराज अग्रवाल, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, प्रत्यर्थी कमांक 1 व 12
सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक प्रत्यर्थी कमांक 8,9 व 11
श्री कुंवर सिंह कुशवाह, अभिभाषक, प्रत्यर्थी कमांक 10 व 13

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 5/8/16 को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 47–ए (5) के अंतर्गत आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–6–2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी कमांक 1 के पति व अपीलार्थी कमांक 2, 3 के पिता एवं प्रत्यर्थी कमांक 8 लगायत 11 के पिता रामसिंह के मध्य निष्पादित विकय पत्रों को प्रथम अपर न्यायालय जिला न्यायाधीश, रतलाम द्वारा पत्र कमांक 26, 27 28 दिनांक 30–6–2007 से अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत मुद्रांक शुल्क एवं शास्ति वसूली हेतु कलेक्टर आफ स्टाम्प, रतलाम को भेजा गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रथम दृष्टया मुद्रांक शुल्क कम देय होना पाते हुए अधिनियम की धारा 33 एवं 47–क के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर दिनांक 22–8–2007 को आदेश पारित किया जाकर मुद्रांक शुल्क एवं अर्थदण्ड रूपये 6,50,430/– जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर आफ स्टाम्प के आदेश से व्यथित होकर प्रथम अपील आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 2–6–2008 को आदेश पारित कर कलेक्टर आफ स्टाम्प का आदेश स्थिर रखते हुए प्रथम अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ तर्क के दौरान उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किए जाने का अनुरोध किया गया । अपीलार्थीगण की ओर से अपील मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अपीलार्थीगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान नहीं किया गया है, इसके विपरीत निष्कर्ष निकालकर आदेश पारित करने में आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

(2) आयुक्त द्वारा अपीलार्थीगण की ओर उठाये गये आधारों पर बिना विचार किये आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रश्नाधीन सम्पत्ति के मूल्यांकन में त्रुटिपूर्ण गणना की गई है, और समान प्रकरणों में पृथक–पृथक मापदण्ड अपनाकर आदेश पारित करने में त्रुटि

की गई है । उनके द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मेमों में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि उभय पक्ष के मध्य सम्पूर्ण भूमि 26 बीघा 6 बिस्वा के संबंध में विकय अनुबंध पत्र निष्पादित हुआ है, अतः कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा सम्पूर्ण भूमि पर मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क निर्धारित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है । इस संबंध में अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील मेमों में उठाया गया यह आधार मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि व्यवहार न्यायालय में केवल 10 बीघा का विवाद था, कारण विकय अनुबंध पत्र सम्पूर्ण भूमि के संबंध में निष्पादित हुआ है, इसलिए सम्पूर्ण भूमि पर ही मुद्रांक शुल्क देय होगा । इसी आशय का निष्कर्ष आयुक्त द्वारा निकाले जाकर अपील निरस्त की गई है । अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थितियों में आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–6–2008 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर